पत्रांक– /आयु0कर,उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2016–17/दे0दून

553
14/09/16

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 09, सितम्बर, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या	–	19/2015–16
द्वारा	–	सर्वश्री एशियन पेन्ट्स पी0पी0जी0 प्रा0लि0, एच0सी0एल0 कम्पाउंड, माजरा, देहरादून। टिन नं0– 05011447674
उपस्थिति	–	श्री दीपक रावत, अधिवक्ता
निर्णय का दिनांक	–	09.09.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री एशियन पेन्ट्स पी0पी0जी0 प्रा0लि0, एच0सी0एल0 कम्पाउंड, माजरा, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट्स पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, ऋषिकेश सम्भाग, ऋषिकेश का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं पर विज्ञापित कर की दर HSN Code से Linked नहीं है, अतः किसी वस्तु पर कर की दर क्या होगी यह अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत प्रावधानित अनुसूचियों के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। यह भी कहा गया कि Epoxide Resin तथा Polyester Resin वस्तुतः Powder Form में ऐसी वस्तुऐं है जिसका उपयोग Colour coating में किया जाता है। Epoxide Powder anticorrosive है तथा अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ होता है। इसका उपयोग सामान्यतः ऑफिस तथा घरेलू फर्नीचर, इण्डस्ट्रीयल रैक्स, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स तथा इलैक्ट्रॉनिक कम्पानेन्ट्स पर किया जाता है। Polyester Resin भी anticorrosive है तथा इसमें Glow retention properties भी होती है। इसका उपयोग आउटडोर फर्नीचर, आर्किटैक्चरल एल्यूमीनियम, गैल्वेनाइज्ड आइटम (fence, gates etc) में किया जाता है। मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी वस्तु विशेष के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उक्त वस्तु का General use देखा जाता है। चूँकि प्रश्नगत वस्तुऐं वास्तव में Colouring material है, अतः इन वस्तुओं के उक्त सामान्य उपयोग के आधार पर भी इनका उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होना प्रकाश में आता है। इस प्रकार पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट्स के Resin से नितान्त भिन्न वस्तु होने का उल्लेख करते हुए उक्त पर RNR अर्थात 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने सम्बन्धी मत व्यक्त किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अधिवक्ता फर्म श्री दीपक रावत ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि उनके द्वारा APCOSHIELD and HACOPLAST के Brand Name से पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट का विक्रय किया जाता है। कहा कि Epoxide Resin तथा Polyster Resin क्रमशः सेन्ट्रल एक्साइज़ चैप्टर हैडिंग 3907.30.10 तथा 3907.99.90 में वर्गीकृत हैं एवं इन उत्पादों के Resin के अन्तर्गत आने सम्बन्धी मत Hon'ble CESTAT Mumbai द्वारा Commissioner of Central Excise, Surat vs. Hardcastle & Waud Mfg. Company Limited [2006-(194)-ELT-0060 TRIB] के मामले में दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कतिपय निर्णयों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2(बी) के क्रमांक 95 पर निहित प्रविष्टि Resin के अन्तर्गत सभी प्रकार के रेजिंन आले हैं अतः Exposide Resin तथा Polyster Resin पर भी 5 प्रतिशत की दर से ही करदेयता होगी।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय दिये गये तर्कों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, ऋषिकेश संभाग, ऋषिकेश द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त सुनवाई के समय Exposide Resin तथा Polyster Resin की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात की गयी। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के निर्माण के क्रम में सर्वप्रथम Epoxy resins, hardeners, pigments, additives, and fillers को निश्चित मात्रा/वजन में मिलाकर एक कन्टेनर में रखा जाता है तथा एक निश्चित समय तक निश्चित गति में उक्त कच्चे माल को आपस में मिक्स किया जाता है जिससे homogeneous distribution होता है। इसके पश्चात उक्त मिश्रित कच्चे माल को Extruder पर गर्म किया जाता है जिससे मिश्रण Melt होता है। इस Melt किये गये मिश्रण को Conveyer पर दो

Scanned by CamScanner

Chilled Rolls पर ठण्डा किया जाता है। इस प्रक्रिया के उपरान्त प्राप्त Powder Plate को छोटे–2 टुकड़ों (चिप्स) में तोड़कर पुनः कन्टेनर में एकत्रित किया जाता है। इसके उपरान्त इन चिप्स को Air Classifying grinding machine में डाला जाता है एवं centrifugal separator से एक निश्चित मानक में पार्टिकल प्राप्त किये जाते हैं तथा अन्य महीन टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट प्राप्त होना अवगत कराया गया है। उपरोक्त निर्माण प्रक्रिया के उपरान्त प्राप्त तैयार माल में उपरोक्तानुसार कई अन्य वस्तुऐं भी कच्चे माल के रूप में समाहित हैं। जहाँ तक प्रश्नगत उत्पादों के उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के क्रमांक 95 पर निहित प्रविष्टि Resin के अन्तर्गत आने सम्बन्धी आवेदक के तर्कों का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि Exposide Resin तथा Polyster Resin वस्तुतः पूर्णतया निर्मित उत्पाद हैं जबकि Resin का उपयोग सामान्य तौर पर rosin and turpentine oil के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, ऋषिकेश संभाग, ऋषिकेश का यह मत भी सर्वथा उचित है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं पर विज्ञापित कर की दर HSN Code से Linked नहीं है। अतः किसी वस्तु विशेष पर कर की दर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत प्रावधानित अनुसूची के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्नगत वस्तुऐं वस्तुतः colouring material है जिसे स्वयं आवेदक द्वारा पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट कहा गया है। इन उत्पादों का सामान्य प्रयोग भी ऑफिस तथा घरेलू फर्नीचर इत्यादि पर कलर कोटिंग में किया जाता है। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2(बी) के क्रमांक 95 पर निहित प्रविष्टि में उल्लिखित Resin (लीसा) को पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तथा उक्त को व्यवसायिक भाग में भी पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट से भिन्न समझा जाता है। अतः प्रश्नगत उत्पाद इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा मा0 CESTAT के जो निर्णय जो अपने पक्ष में उद्धृत किये गये हैं वह प्रश्नगत मामले में प्रासंगिक नहीं हैं, तद्नुसार इन उत्पादों के उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अनुसूची 2(बी) के क्रमांक–95 एवं अन्य किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण इन पर कर की दर 13.5 प्रतिशत होना अवधारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3643 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून / हरिद्वार / कशीपुर / रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7 डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–7, वाणिज्य कर, देहरादून।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 माईन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner